

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/102/2016

प्रवेश तिथि

18-10-2016

निर्णय दिनांक

15-03-2018

01-सबचैन पुत्र श्री हुरमत जाति मेव निवासी ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ जिला अलवर

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर

रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ  
दिनांक 21.09.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू रजिस्ट्रार  
अधिनियम प्रकरण संख्या 205/2016



उपस्थित:-

01-श्री जर्नादन शर्मा

-वकील अपीलान्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 21.09.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम पिपरोली की सरकारी गैर मुमकिन पहाड़ आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 9.65 है०, मे से 2.00 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पिपरोली की सरकारी गैर मुमकिन पहाड़ आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 9.65 है०, मे से 2.00 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 24.08.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 18.10.2016 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का पिपरोली द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-03-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

अलवर (राजस्थान)